न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम महिपाल

मुकदमा न. 36 / 18 / एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

24.01.2019	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी महिपाल पुत्र महावीर प्रसाद निवासी पिपलोदा, वार्ड नं. 10, झूनका बास, पो.–भगतपुरा, खूड़ जिला सीकर मैसर्स– शेखावाटी स्वीट होम, खुड़ रोड़, झूनका बास, खुड़ जिला सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी नम्बर एफ-- 1066 वस्तु पनीर का नमूना लिया गया । राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी महिपाल के 10,000 / – रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया । 24/1/19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official